राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

"सामाजिक सुरक्षा के विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण"

दिनांक 02-04 फरवरी, 2017

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सामाजिक सुरक्षा संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 02.02.2017 से 04.02.2017 तक "सामाजिक सुरक्षा" विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोर्स निदेशक अनुकृति उज्जेनियॉ ने प्रशिक्षण के उद्देश्यो के बारे में अवगत करवाया।

श्री के.एल. शर्मा विभागाध्यक्ष (मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर ने **वृद्धावस्था** एवं इससे सम्बन्धित शारीरिक मानसिक एवं विषम सामाजिक जीवन परिस्थितियों पर जानकारी दी। उन्होनें इनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावकों की देखरेख एवं जीवनयापन कानून 2007 पर विस्तृत चर्चा की।

डॉ. शिव गौतम ने द्रव्य एवं नशीले पदार्थ एवं उनका उपयोग पर चर्चा की। उन्होनें प्रचलित मादक पदार्थो की प्रकृतियों एवं व्यसनों की मानसिक एवं शारीरिक दशाओं के बारे में बताया। उन्होनें ऐसे व्यसनों के पुनर्वास के तरीकों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

प्रो. अनिता हाड़ा सांगवान ने जेण्डर की व्याख्या करते हुए महिलाओं एवं पुरूषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होने राष्ट्रीय महिला नीतियों एवं सामाजिक सुरक्षा पर कार्यक्रमों की चर्चा की।

श्री राधाकान्त सक्सेना सेवानिवृत आई.जी.पी. ने बन्दियों एवं उनके आश्रितों पर चर्चा करते हुए कहा कि जेल, अपराधियों के सुधार के लिए बनाये गयी थी। परन्तु जेलों में सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्यवाहियों का अभाव है। यह पक्ष बहुत ही अमानवीय है।

श्रीमती नीतू प्रसाद ने बाल संरक्षण पर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व कानूनों, बालकों के अधिकारों पर चर्चा की। बच्चों एवं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न

कानूनों किशोर न्याय बालकों का संरक्षण एवं देखरेख अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2008 एवं लैगिंक अपराधों की सुरक्षा अधिनियम 2012 पर सम्बोधित किया।

श्री यदुराज शर्मा परामर्शद, राजस्थान पुलिस अकादमी ने बाल संरक्षण एवं पुनर्वास पर कार्यरत संस्था आई-इण्डिया की शैक्षणिक विजिट करायी एवं राज्य में बालकों की जीवन परिस्थितियों के बारे में बताया।

श्री प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार इण्डिया न्यूज ने कहा कि पुलिस के समान ही मीडिया से भी समाज की अधिक अपेक्षाएं है। इन अपेक्षाओं में थोडी भी कमी पर आमजन उद्वेलित हो जाते है। अत: पुलिस एवं मीडिया से जुडे लोगों की जिम्मेदारी है कि किसी घटना के बाद दोनों का मीडिया प्रबन्धन सही हो।

श्री एन.मोरिस बाबू, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस होम गार्ड ने मानव तस्करी पर चर्चा करते हुए उसके सामाजिक, आर्थिक एवं बालकों पर पडने वाले शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होनें राजस्थान के संदर्भ में कहा कि राज्य में कई क्षेत्रों में बच्चे कई तरह के कार्यो में लगे हुए है। इन बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिन्ता का विषय है।

समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री राजेन्द्र भानावत, सेवानिवृत आई.ए.एस. ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता में लाना होगा तभी प्रशिक्षण की सार्थकता है। समाज में सुरक्षा का मुख्यतंत्र पुलिस है जो अपराधियों को सुधारकर समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाये एवं जो पीडित है वे चाहे अपराधी के आश्रित हो या पीडित उन्हें पुनर्वास या संरक्षण मिले। वर्तमान में हमारे कई विभाग सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्यरत है, जिन्हें एक साथ समेकित प्रयास करने की जरूरत है।

समापन सत्र के दौरान पुलिस अधिकारियों को सहभागिता प्रमाण पत्र अतिथि महोदय द्वारा वितरित किये गये। कार्यक्रम के अन्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक अनुकृति उज्जेनियॉ ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में 34 पुलिस अधिकरी सम्मिलित हुए।